(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2046–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–3–15 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील दलौदा जिला मंदसौर प्रकरण कमांक 8/अ–13/13–14.

करनसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत
निवासी ग्राम पाडलियालालमुँहा
तहसील दलौदा जिला मंदसौर .....आवेदक

विरूद्ध

1– देवीलाल पुत्र राजाराम गायरी
2– प्रभुबाई बेवा राजाराम गायरी
निवासीगण ग्राम पाडलियालालमुँहा
तहसील दलौदा जिला मंदसौर .....अनावेदकगण

श्री लखनसिंह धाकड, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील दलौदा जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–3–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, तहसील दलौदा जिला मंदसौर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पाडलियालालमूहा तहसील दलौदा जिला मंदसौर स्थित सर्वे कमांक 393 रकबा 0.910 आरे एवं सर्वे कमांक 541 रकबा 1.280 आरे एवं सर्वे कमांक 542 रकबा 0.570 आरे कुल रकबा 2.760 आरे भूमि पर जाने हेतु रास्ता आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही संहिता की धारा 32 के अंतर्गत अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया ।

तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 8/अ–13/13–14 दर्ज कर दिनांक 26–3–15 को अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने के आदेश पारित करने में विधिवत स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है, और स्थल निरीक्षण टीप मनमाने तरीके से लिखी गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण के लिए शासकीय रास्ता उपलब्ध है, जिसमें से वे कई वर्षों से आना–जाना करते हैं, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा उनके खेत में से रास्ता देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को नया रास्ता दिया गया है, जबकि संहिता की धारा 131 के अंतर्गत नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया गया है, और स्थल निरीक्षण में मौके पर रूढ़िगत रास्ता होने एवं उसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध करना पाया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है, और वे प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत रास्ता नहीं होना प्रमाणित कर सकते हैं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पटवारी से स्थल निरीक्षण कराया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन रास्ता अवरूद्ध करना पाया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अंतरिम रास्ता दिये जाने का आदेश देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, अतः तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अतः तहसील न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उभय

पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह में प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील दलौदा जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–3–15 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण तहसीलदार को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु भेजा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर